प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.01.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधडी कर पैसे निकालने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 एटीएम कार्ड बरामद।

दिनांक 04.01.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 03.01.2026 को वादी की पत्नी द्वारा अपने एटीएम कार्ड से रूपये निकालने के लिये मुरादनगर थाना के सामने हिटाची मनी एटीएम पर जाना तथा वहां दो अज्ञात व्यक्तियों ने मदद के नाम पर धोखाधडी से उनका का एटीएम कार्ड बदल लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 318(4) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 05.01.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुट के आधार पर उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त आमिर उर्फ कल्लू पुत्र आमीन निवासी ग्राम घाघोट थाना चांदहट जनपद पलवल हरियाणा उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर धारा उपरोक्त अभियोग में 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं व मेरे साथी एटीएम के अन्दर जाकर मदद करने के बहाने लोगों से धोखाधडी कर एटीएम कार्ड बदल लेते हैं तथा पिन नम्बर जानकर उनके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। दिनाँक 03.01.2026 को भी मैंने व मेरे एक साथी ने एक महिला के एटीएम कार्ड से रूपये निकालने के लिये मुरादनगर थाना के सामने हिटाची मनी एटीएम को बदल लिया था लेकिन हम उस एटीएम कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाये थे। पूर्व में दिनाँक 06.09.2025 को भी मैंने व मेरे साथी ने एक महिला के एटीएम कार्ड से रूपये निकालने के लिये धोखाधडी कर एचडीएफसी एटीएम कस्बा रोड मुरादनगर से बदल लिया था और पिन नम्बर जान लिया था बाद में उस एटीएम कार्ड का प्रयोग कर विभिन्न एटीएम से 1,31,000/- रूपये निकाल लिये थे। दिनांक 30.9.2025 को भी मैंने व मेरे साथी ने एक महिला के एटीएम कार्ड से रूपये निकालने के लिये धोखा धडी कर AXIS ATM से पैसे निकालने आई महिला से ATM card को बदलकर 18500 रु निकाल लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त आमिर उर्फ कल्लू पुत्र आमीन निवासी ग्राम घाघोट थाना चांदहट जनपद पलवल हरियाणा उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- वादी की पत्नी का 01 एटीएम कार्ड बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उक्त घटनाओं से सम्बन्धित थाना मुरादनगर पर 03 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 05.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त हर्ष बंसल पुत्र राजपाल निवासी गाँव तिगरी थाना खेकडा जनपद बागपत हाल पता गौरव मार्केट बाला जी धर्मकाँटा के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये एक संगठित गिरोह बना रखा है। मैंने अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध कारित किये हैं जिनमें मैं और मेरे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त हर्ष बंसल पुत्र राजपाल निवासी गाँव तिगरी थाना खेकडा जनपद बागपत हाल पता गौरव मार्केट बाला जी धर्मकाँटा के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग, लूट का 01 अभियोग , पुलिस मुठभेड व आयुध अधिनियम का 01 अभियोग (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से एक आलाकत्ल कपडे का मफलर व 04 पव्वे देशी शराब बरामद।

दिनांक 04.01.2026 को थाना लोनी पर सूचना प्राप्त हुई कि हल्का चौकी चिरोडी क्षेत्र में एक अज्ञात शव पडा है। इस सूचना पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव का पंचायतनामा व वैधानिक कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया तथा शव की शिनाख्त व घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात शव की पहचान मृतक आकाश पुत्र राजू निवासी मेवला भट्टी थाना लोनी गाजियाबाद के रूप में हुई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 103(1) बीएनएस व 3(2)5 SC/ST Act के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 05.01.2026 को थाना लोनी से गठित पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. चिन्टू पुत्र जगवीर सिंह ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष 2. बादल पुत्र फिरे निवासी ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना लोनी के हल्का चौकी चिरोडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक आलाकत्ल एक कपडे का मफलर व 04 पब्वे देशी शराब बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों साथ-साथ रहते थे। उस दिन हम तीनों लोग पार्टी करने के लिये घर से निकले थे और हमने साथ-साथ शराब के ठेके से शराब खरीदी थी। हम साथ में बैठकर शराब पी रहे थे तथी शरीब पीने के दौरान आकाश द्वारा गाली देने को लेकर हम दोनों का मृतक आकाश से झगडा हो गया। आकाश ने शराब अधिक पी रखी थी जिससे व ज्यादा उग्र होकर हमारे साथ हाथापाई करने लगा जिससे हमने गुस्से में आकर मफलर निकाल कर आकाश की गला घोट कर हत्या कर दी और शव को वहीं छोडकर भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. चिन्टू पुत्र जगवीर सिंह ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. बादल पुत्र फिरे निवासी गांव मेवला भट्टी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तगण की निशांदेही से आलाकत्ल एक मफलर व 04 पब्वे देशी शराब के बरामद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लोक शान्ति व्यवस्था भंग करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 29.12.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर सोशल मीडिया से प्राप्त वीडियो एवं सूचना, जिसमें हिन्दु रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने अन्य साथी हर्ष चौधरी, अन्नू, श्याम यादव, अमित सिहं, मोहित कुमार, अरुण जैन, उजाला सिह, अमित कुमार, महेन्द्र प्रधान, रामपाल, मोहित, राधेश्याम, अमित-प्रजापति, श्रवण चदेल, कपिल आदि कुछ अन्य 25-30 अज्ञात व्यक्तियों के साथ हिदु रक्षा दल के कार्यालय 150

फूटा बुद्ध बाजार रोड प्लाट न0 ए-16 शालीमार गार्डन एक्स-02 पर तलवारों को वितरित किया जा रहा है तथा इसके साथी उन तलवारों को हाथों में लेकर उग्र होकर प्रदर्शन व नारे बाजी कर रहे थे। जिसमें मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया था तथा सड़क मार्ग पर आने जाने वाले व वाहनों में बैठे व्यक्ति भयभीत होकर अपने वाहनों को छोड़कर भागने लगे तथा आसपास के लोग उक्त माहौल के भय से अपने घरों में छिप गये। इनके प्रदर्शन की वजह से मार्ग अवरूद्ध हो गया, जिसमें बूढ़ें, बच्चे तथा एम्बूलेंस भी फस गये। जिससे लोक शांति पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गयी। इस सम्बन्ध में दिनांक 29.12.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर धारा 191(2)/191(3)/127(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में 10 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा आज दिनांक 06.01.2026 को 80 फुटा कट बजीराबाद रोड़ से मुखबिर की सूचना पर लोक शान्ति व्यवस्था भंग करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1. हर्ष पुत्र भूपेन्द्र उर्फ पिंकी चौधरी निवासी 6/47 सेक्टर 02 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष व 2. भूपेन्द्र उर्फ पिकी चौधरी पुत्र सुखबीर सिंह निवासी 6/47 सेक्टर 02 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हमारा एक हिन्दू रक्षा दल नामक संगठन है, जिसका अध्यक्ष मैं पिंकी चौधरी हूं। उस दिन मैरे द्वारा अपने कार्यालय 150 फुटा रोड़ शालीमार गार्डन पर लोगों को इकट्ठा कर हथियार/शस्त्रों तलवारों का वितरण किया गया था। जिससे लोगों में डर की भावना पैदा हो गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. हर्ष पुत्र भूपेन्द्र उर्फ पिंकी चौधरी निवासी 6/47 सेक्टर 02 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
2. भूपेन्द्र उर्फ पिकी चौधरी पुत्र सुखबीर सिंह निवासी 6/47 सेक्टर 02 राजेन्द्र नगर थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार हर्ष पुत्र भूपेन्द्र उर्फ पिंकी चौधरी के विरुद्ध थान शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर लोक शान्ति भंग करने के के सम्बन्ध में 01 अभियोग तथा थाना साहिबाबाद पर मारपीट व धमकी देने के सम्बन्ध 02 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

- गिरफ्तार भूपेन्द्र उर्फ पिकी चौधरी पुत्र सुखबीर सिंह के विरुद्ध लोक शान्ति भंग करने एवं लोगों को भडकाने आदि के सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर 01 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग, थाना कविनगर पर 01 अभियोग, थाना लोनी पर 01 अभियोग तथा थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग एवं अन्य थानों सहित कुल 27 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी का सामान बरामद ।

दिनांक 05.01.2026 को वादी श्री इम्तियाज निवासी सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबद द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तहरीर दी कि दिनांक 27.12.2025 की रात्रि मे किन्ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी सिद्धार्थ विहार स्थित डिलीवरी ऑफिस से 02 लैपटॉप व 16 पैकेट (पार्सल) को चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 305(A) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरो को चेक किया तथा मैनअल इन्पुटस के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना का शीघ्र सफल अनावरण किया गया।

दिनांक 06.01.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त 1. गोंविद निगम पुत्र देवेंन्द्र कुमार निवासी पंचवटी कालोनी 30 फुटा रोड माता वाली गली लोनी बोर्डर थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष 2. शिवम पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम खेड़ा थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उम्र 19 वर्ष 3. आकाश पुत्र प्रवीन निवासी नियर सरकारी स्कूल सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तो के कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित एक हैडफोन ANC कंपनी व एक Creatina mono hydrate का प्लास्टिक का डिब्बा व एक रिमोट कार मय रिमोट के व एक जोड़ी जूते रेडटेप कंपनी व एक muscle whEy प्रोटीन प्लास्टिक का डिब्बा बरामद हुए। अभियुक्तो के विरुद्ध चोरी के माल की बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 317(2)/331(4)/3(5) BNS की वृद्धि करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तो से पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए अभियुक्त आकाश द्वारा बताया गया कि मै काफी समय पहले इस डीलिवरी ऑफिस मे काम करता था, जिससे मुझे इस ऑफिस के बारे मे सारी जानकारी थी, फिर मैने यह ऑफिस छोड दिया था, आजकल मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नही थे तो मैने अपने साथी गोविन्द व शिवम के साथ मिलकर अब से करीब 8 दिन पहले वहां से 02 लैपटॉप व अन्य सामान चोरी कर लिया था। जो सामान आज हमने बरामद हुआ है यह उसी चोरी का सामान है तथा लैपटॉप को हमने ट्रेस होने के डर से उन्हे नष्ट कर दिये थे।

अभियुक्त का नाम व पता

(1) गोंविद निगम पुत्र देवेंन्द्र कुमार निवासी पंचवटी कालोनी 30 फुटा रोड माता वाली गली लोनी बोर्डर थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

(2) शिवम पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम खेड़ा थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उम्र 19 वर्ष।

(3) आकाश पुत्र प्रवीन निवासी नियर सरकारी स्कूल सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

उपरोक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित एक हैडफोन ANC कंपनी व एक Creatina mono hydrate का प्लास्टिक का डिब्बा व एक रिमोट कार मय रिमोट के व एक जोड़ी जूते रेडटेप कंपनी व एक muscle whEy प्रोटीन प्लास्टिक का डिब्बा।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक चोरी व माल बरामदगी के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 02.10.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि शरीफ पुत्र वहीद खान निवासी फ्लैट नं0197 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद द्वारा वादिया को कमरा दिलाने के बहाने अपने ऑफिस पर बुलाकर जूस में नशीला पदार्थ मिलकार और उसे पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर फोटो खींच लेना व शादी का झांसा देकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना और अभियुक्त शरीफ द्वारा अपने दोस्त के साथ पीडिता को शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाना तथा शरीफ की बहन रीना व मीना द्वारा भी वादिया को धमकी देने के सम्बन्ध में धारा 69, 123, 74, 115(2), 351(3) बीएनएस व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 02.12.2025 को अभियुक्त शरीफ पुत्र वहीद खान निवासी फ्लैट नं0197 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष को गिरफ्तार किया जा चुका है। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 05.01.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त दानिश चौधरी पुत्र इस्माइल निवासी पता LIG 56 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद हाल पता ई 10/120 F 10 ब्लाक सुन्दर नगरी थाना नन्दगरी दिल्ली 93 उम्र करीब 27 वर्ष को हिण्डन पुल फरूखनगर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दानिश चौधरी उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 376 डी भादवि की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त दानिश चौधरी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त दानिश, शरीफ का दोस्त है। शरीफ ने दानिश को बताया कि मैने काम दिलाने के बहाने एक महिला गजाला को फंसा लिया है। अब हम दोनों उसके साथ मजे करेंगे। अभियुक्त दानिश चौधरी ने अपने दोस्त शरीफ के कहने में आकर पीडिता गजाला के साथ दुष्कर्म कारित करने की घटना की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दानिश चौधरी पुत्र इस्माइल निवासी पता LIG 56 तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद हाल पता ई 10/120 F 10 ब्लाक सुन्दर नगरी थाना नन्दगरी दिल्ली 93 उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त दानिश चौधरी उपरोक्त के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर दुष्कर्म के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।